रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, सोमवार, जून, 21, 1971/ज्येष्ठ 31, 1893

No. 106] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 1971/JYAISTHA 31, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June 1971

G.S.R. 963.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts with effect from 21st June, 1971 to 20th September, 1971, Shri Vishnu Hari Dalmia, son of Jaidayal Dalmia of 4, Scindia House, New Delhi, from the operation of the provisions of Clauses (f) and (g) of sub-section (2) of Section 6 of the Passports Act, 1967.

[No. VI/405/1/54/68.]

S. KRISHNAMURTI, Secy. (West).

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 जून, 1971

जी०एस०आर० 963.—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ते हुए, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक हित में, अपनी राय में, यह आवश्यक समझती है कि 21 जुन 1971 से 20 सितम्बर 1971 तक, श्री विष्णु हरि डालमिया, सुपुत्र श्री जय दयाल डालमिया, 4 सिंधिया हाउस, नई दिल्ली को, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुच्छेद 6 के उप अनुच्छेद (2) की धारा (च) और (छ) के उपबंधों से छूट प्रदान कर दी जाए ।

[सं०VI/405/1/54/68]

एस० कृष्णामूर्ति, सचिव (पश्चिम) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971